

## राज्य सभा

### सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

मंगलवार, 7 फरवरी, 2017

मध्याह्न पूर्व 11 बजे

1. श्री श्रीपद यसो नायक निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलुरु का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।  
(ख) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(ग) ऊपर (i) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।
- (ii) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।  
(ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(ग) ऊपर (ii) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।
- (iii) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे।  
(ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(ग) ऊपर (iii) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

2. श्री संतोष कुमार गंगवार निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (7) के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

- (1) महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा की गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, यूक्रेन और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील देशों से विनिर्दिष्ट आयात कीमत से कम कीमत पर आयात किए जाने पर '150 एम एम से कम अथवा इसके बराबर के नाममात्र के मोटाई वाले तथा 600 एम एम से बड़े या इसके बराबर के नाममात्र की चौड़ाई वाले एलॉय या नॉन एलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स एवं प्लेट्स (कॉइल के रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर)' के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर दो साल और छह महीने की अवधि के लिए

रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग करने वाली सा.का.नि. 1084 (अ), दिनांक 23 नवम्बर, 2016.

- (2) प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में आस्ट्रेलिया और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित लो- एश मेटलर्जिकल कोक पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की मांग करने वाली सा.का.नि. 1090 (अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2016.
- (3) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ' ट्रेलर्स के लिए एक्सल' के आयात पर निर्धारित रीति से पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की मांग करने वाली सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016.
- (4) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 528(अ), दिनांक 3 जुलाई, 2012 को निरस्त करने वाली सा.का.नि. 1163(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2016.
- (5) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 258(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को निरस्त करने वाली सा.का.नि. 1164(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2016.
- (6) बांग्लादेश अथवा नेपाल से पटसन यार्न / ट्वाइन (मल्टिपल फोल्डेड/केब्ल्ड और सिंगल), हेसियन फ़ैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स नामक "जूट उत्पादों" के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक की उसे समय पूर्व रद्द, अधिक्रमित अथवा संशोधित न किया जाए) निश्चित प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की मांग करने वाली सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017.
- (7) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मिश्र धातु अथवा गैर मिश्र धातु इस्पात के विनिर्दिष्ट कलर कोटेड/प्री पेंटेड फ़्लैट उत्पादों के आयात पर निर्धारित रीति में छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की मांग करने वाली सा.का.नि. 21 (अ), दिनांक 11 जनवरी, 2017.
- (8) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टि को शामिल करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 13 (अ), दिनांक 13 जनवरी, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 49 (अ), दिनांक 19 जनवरी, 2017.
- (9) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टि को अन्तर्विष्ट करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 17 (अ), दिनांक 13 जनवरी, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 50(अ), दिनांक 19 जनवरी, 2017.

II. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

- (1) वेयर हाउस्ड गुड्स (रिमूवल) विनियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 514 (अ), दिनांक 14 मई, 2016.
- (2) वेयर हाऊस (वस्तुओं का अभिरक्षण एवं देख रेख) विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 515(अ), दिनांक 14 मई, 2016.
- (3) विशेष वेयर हाऊस (वस्तुओं का अभिरक्षण एवं देख रेख) विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 14 मई, 2016.
- (4) सार्वजनिक वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 14 मई, 2016.
- (5) निजी वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 518(अ), दिनांक 14 मई, 2016.
- (6) विशेष वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 519(अ), दिनांक 14 मई, 2016.
- (7) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन करने वाला का.आ. 3450(अ), दिनांक 15 नवम्बर, 2016.
- (8) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के संबंध में सं. 138 /2016 सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 नवम्बर, 2016.
- (9) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के संबंध में सं. 143 /2016-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 नवम्बर, 2016.
- (10) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन करने वाला का.आ. 3593(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2016.
- (11) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के संबंध में सं. 145 /2016-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 दिसम्बर, 2016.
- (12) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के संबंध में सं. 147 /2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 15 दिसम्बर, 2016.

- (13) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन करने वाला का.आ. 4054(अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 2016.
- (14) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का लोप करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1173(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2016.
- (15) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन करने वाला का.आ. 4226(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2016.
- (16) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को अन्तर्विष्ट करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1202(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016.
- (17) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 1 जून, 2011 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1203(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016.
- (18) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1204(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016.
- (19) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1205(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016.
- (20) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1206(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016.
- (21) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के संबंध में सं. 1 /2017-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जनवरी, 2017.
- (22) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन करने वाला का.आ. 122(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2017.
- (23) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के संबंध में सं. 5 /2017-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 19 जनवरी, 2017.

III. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप धारा (4) के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

- (1) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का अंतःस्थापन करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 1082 (अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2016.
- (2) प्लेस आफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज (द्वितीय संशोधन) रूल्स, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 1102 (अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2016.
- (3) सेवा कर (पंचम संशोधन) नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 1155 (अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2016.
- (4) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का प्रतिस्थापन करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 467 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 24 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017.
- (5) सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2017 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017.
- (6) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का अंतःस्थापन करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 26 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017.
- (7) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का प्रतिस्थापन करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 468 (अ), दिनांक 20 जून, 2012, का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 27 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017.

IV. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप धारा (2) के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

- (1) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का लोप करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 117 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 10 (अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017.
- (2) मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का अंतःस्थापन करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 163 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 का संशोधन करने वाली सा.का.नि. 22 (अ), दिनांक 11 जनवरी, 2017.

V. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

- (1) आयकर (अट्टाईसवां संशोधन), नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 982 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2016.
- (2) आयकर (बाईसवां संशोधन), नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाला का.आ. 2979 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2016.

- (3) आयकर (तैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाला का.आ. 3573 (अ), दिनांक 28 नवम्बर, 2016.
- (4) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना नियम, 2016 को प्रकाशित करने वाला का.आ. 4059 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2016.
- (5) केन्द्र सरकार द्वारा यथास्थिति प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलुरु को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना नियम, 2016 के अधीन घोषणा फाइल करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करने वाला का.आ. 4060 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2016.
- (6) आयकर (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाला का.आ. 4110 (अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2016.
- (7) आयकर (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाला का.आ. 4168 (अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2016.

VI. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (7) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 को प्रकाशित करने वाली वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2017 तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

VII. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 85 की उप धारा (4) के अधीन काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण (संशोधन) नियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाली वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1180 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

VIII. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप धारा (2) और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप धारा (4) के अधीन मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियां प्रतिस्थापित/अंतर्विष्ट/का लोप करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1018 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 का संशोधन करने वाली वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 23 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017 तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

IX. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अधीन 2015-16 के वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

- (i) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़; और
- (ii) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना, बिहार।

X. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उप धारा (3) के अधीन 2015-16 वर्ष के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), हैदराबाद के वार्षिक लेखाओं और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

3. श्री फगन सिंह कुलस्ते निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

I. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):

- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) बारहवां संशोधन विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली फाइल सं. 1-11 (1) /मानक/एसपी (जल और सुपेय) /एफएसएसएआई 2015, दिनांक 16 नवम्बर, 2016.
- (2) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 को प्रकाशित करने वाली फा. सं. एफ. 1-63/ एफएसएसएआई/टी आर. कारबार एस सी और एस पी/रजि. 2015, दिनांक 6 दिसम्बर, 2016.
- (3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमावली, 2016 को प्रकाशित करने वाली सं. 1-4/ न्यूट्रास्युटिकल/ एफएसएसएआई- 2013, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016.

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप धारा (1) (ख) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

- (i) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए एचएलएल लाईफ़केअर लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।  
(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ii) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए एचएलएल लाईफ़केअर लिमिटेड की सहायक कंपनी एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच.बी.एल.), तिरुवनन्तपुरम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।  
(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (iii) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए एचएलएल लाईफ़केअर लिमिटेड की सहायक कंपनी एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एचआईटीईएस), तिरुवनन्तपुरम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे

तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iv) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए एचएलएल लाईफ़केयर लिमिटेड की सहायक कंपनी गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), गोवा का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(v) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

III. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उप धारा (4) और धारा 19 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(क) 2015-16 के वर्ष के लिए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ का उनचासवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

IV. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(i) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त सोसायटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (i) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

(ii) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 2015-16 के वर्ष के लिए चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (घ) ऊपर (ii) (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।
- (iii) (क) 2015-16 के वर्ष के लिए अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान (एआईआईएसएच), मैसूर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (iii) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

**4. श्री जयंत सिन्हा** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप धारा (1) (ख) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में):-

(क) 2015-16 के वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)।

**5. श्री अर्जुन राम मेघवाल** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

I. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख; लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अधीन मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. सा.का.नि. 835 (अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2015 का संशोधन करने वाली कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1130 (अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में):-

(क) 2015-16 के वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

**6. डा. सुभाष रामराव भामरे** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप धारा (1) (ख) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में):-

(क) 2015-16 के वर्ष के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)।

नई दिल्ली:  
6 फरवरी, 2017.

शमशेर के. शरीफ,  
महासचिव।